



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या -1011-अ0प्र0-07/पाकालि/16-22-अ0प्र0-07/15

दिनांक 03/03/2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा 3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 में निर्दिष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-2608/2011 एवं समविषयक सहबद्ध अन्य अपील्स में दिनांक 27.04.2012 को पारित निर्णय में Ultra Vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.15 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015-3-विनियम/92, दिनांक 21.08.2015 के माध्यम से अंगीकृत किये जाने के उपरान्त पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0-3196-अ0प्र0-07, दिनांक 07.12.2015 द्वारा भूतलक्षीय प्रभाव से अवर अभियन्ता के पद पर पदावनत किया गया था।

2. उपरोक्त सन्दर्भित कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.12.2015 की सूची के क्र0सं0-2 पर अंकित श्री मोहन सिंह (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7280) (पूर्व में आवंटित अभि0 सं0-2002184) के सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पुनर्चयन से सम्बन्धित प्रतिबन्ध पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से, एतद्वारा सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

40% प्रोन्नति कोटा-वैद्युत एवं यांत्रिक

क्र0 सं0	अभियन्ता का नाम /श्रेणी /प्रोन्नति कोटा/वरिष्ठक्र0 सर्वश्री	पूर्व में आवंटित अभिज्ञान संख्या	कारपो0आ0 सं0-3196-अ0प्र0-07, दि0 07.12.15 के निर्गमन पश्चात् पदनाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गई प्रोन्नति का पदनाम/तिथि	नव आवंटित अभिज्ञान संख्या
1	2	3	4	5	6
1	श्री मोहन सिंह (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7280)	2002184	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता / 24.12.2010	20103972002184

इस आदेश के निर्गमन के पश्चात् पूर्व में आवंटित अभिज्ञान संख्या निम्नभावी हो जाएगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-1011-अ0प्र0-07 / पाकालि / 2016 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका सं0-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव (अ0प्र0-01/02), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.15 को अंगीकृत करते हुए निर्गत कारपोरेशन के कार्यालय झाप सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015-3-विनियम/92, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
9. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. संबंधित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।
12. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव